



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 8 बजट (1) 15/2025 183/2025 आ०

दिनांक- 20/03/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, यादवपुर
निदेशक पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403001010108, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0112-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007890112, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007960131 के अन्तर्गत कुल ₹1,87,74,000/- (एक करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार) मात्र का आवंटन।

महाराज

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश संख्या 2052 दिनांक 08.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 132(नि०) आ० दिनांक 13.01.2026 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार व्यय को बट्टन करने हेतु कुल ₹ 1,87,74,000/- (एक करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	विपत्रकोड 02-2403001010108			विपत्रकोड 02-2403007890112			विपत्रकोड 02-2403007960131			कुल आवंटित राशि (लक्ष में)		
		पूर्व सं. आवंटन	अधिसूचित आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व सं. आवंटन	अधिसूचित आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व सं. आवंटन	अधिसूचित आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व सं. आवंटन	अधिसूचित आवंटन	कुल आवंटन
1	पशु चिकित्सा सेवाएँ	10,75,00,000	0	10,75,00,000	78,30,000	1,07,74,000	2,07,74,000	57,60,000	0	6,76,000	11,12,74,000	1,87,74,000	13,07,02,000
2	पशु स्वास्थ्य प्रबंधन- सात निश्चय-2	1,67,00,000	0	1,67,00,000	11,90,000	0	11,90,000	10,40,000	0	1,04,000	2,90,00,000	0	2,90,00,000
3	कुल	12,52,00,000	0	12,52,00,000	90,20,000	1,07,74,000	2,19,74,000	68,00,000	0	7,80,000	14,12,74,000	1,87,74,000	15,99,02,000

(एक करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार) मात्र

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०- 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403001010108, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0112-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007890112, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्रकोड 02-2403007960131 के अन्तर्गत विकसित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्तरीय के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत गोट सिमेन स्टेशन (Goat Semen Station) की स्थापना एवं संचालन हेतु दिया जा रहा है।

4 इस राशि की निगारसी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार साईंघरस्ट्रीक डेवलपमेंट एजेंसी (BLDA) पटना को पीओएलओ खाता (संख्या-PHDPPLAB2H) में अंतरित किया जायेगा।

5 वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि०, दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निगारसी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निगारसी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करे ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय।

6 जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 15/2025, 183(क) आ०

पटना-15, दिनांक 20/03/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-95-97-प०वा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 फाट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आरा सचिव/सचिव के प्रधान आन्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।